न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 991/2020 (2020/00991) जिला–अजमेर

1. शिवचन्द पुत्र रावतराम जाति आचारी
2. जीवणराम पुत्र रावतराम जाति आचारी
   समस्त निवासीगण आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. नौसर देवी पत्नी मेवाराम
2. मीठी देवी पत्नी दयालराम
3. मेवाराम पुत्र हालूराम
4. दयालराम पुत्र हालूराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलिया तहसील रिंयाबड़ी जिला नागौर।

–––प्रत्यर्थीगण

5. नारायण पुत्र प्रभु
6. भीकाराम पुत्र प्रभु
7. सुवाराम पुत्र पभु
8. हुक्माराम पुत्र प्रभु
9. अमराराम पुत्र प्रभु
10. मोहनी देवी बेवा प्रभु
11. चनणी देवी पत्नी गोपीराम
12. ओमप्रकाश पुत्र रूघाराम
13. शारदा देवी पत्नी मंगलाराम
    समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी जिला नागौर।
15. पटवारी हल्का आलनियावास तहसील रिंयाबड़ी जिला नागौर।
16. रूकमा देवी पत्नी रूघाराम
17. गेपीराम पुत्र रूघाराम
18. म्ंगलाराम पुत्र रूघाराम
19. तोफादेवी पुत्री रूघाराम
20. सजना पुत्री रूघाराम
21. पांची देवी पुत्री रूघाराम

22. गीता देवी पुत्री रूघाराम
23. सायरी देवी पुत्री रूघाराम
24. सन्तोष पुत्री रूघाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

————तरतीबी प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी जिला नागौर
दिनांक 29–05–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 23/2019
बउनवान नौसर देवी बनाम नारायण वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री उमेश कुमार अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांकः– 26–12–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–5–2019 द्वारा अपील स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड व नक्शा में खातेदारी दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार, रिंयाबड़ी को आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी का निर्णय दिनांक 29–5–2019 पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को नोटिस नहीं दिया एवं एकपक्षीय आदेश पारित किया। उक्त निर्णय की जानकारी हाल ही में गांव में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलार्थी रियांबड़ी गया और जानकारी करने पर उक्त निर्णय की जानकारी होने पर दिनांक 11–10–2019 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जिस पर दिनांक 14–10–2019 को नकल प्राप्त हुई । तत्पश्चात अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर प्रस्तुत की

गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थीगण अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम आलनियावास की सरहद में खसरा नम्बर 1310 रकबा 101 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 1289 रकबा 24 बीधा जिनके नये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 1763/1310 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा और खसरा नम्बर 1310 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1776/1310 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1298 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1310/1 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 1710/2 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 1776/1310 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा संयुक्त खातेदारी आराजियात बाबत एक राजस्व वाद एवं राजस्व प्रार्थना पत्र 18/2013 कल्याणमल बनाम शिवचन्द के नाम से विचाराधीन है और एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2019 ओमप्रकाश बनाम शिवचन्द का उक्त सभी खसरा नम्बर बाबत बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवारे का उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने खसरा नम्बर 1310 रकबा कल्याणमल पुत्र शुभकरण का हिस्सा 16 बीघा 05 बिस्वा का जरिये बेचान रोहित पुत्र कल्याण से खरीद किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1181 दिनांक 28–11–2016 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी रही। शेष इन्द्राज

अपीलार्थीगण का है जिन्हें सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया और उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 1886 रकबा 5.06 हैक्टर कायम किये जिनमें उक्त खसरा नम्बर 2.63 हैक्टर है, का नया खसरा नम्बर अंकित कर दिया जबकि राजस्व रेकार्डमें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से खसरा नम्बर 1692 प्रथम खातेदार से खरीद किया तब से काबिज काश्त है। परन्तु 1692 के खातेदार अपीलार्थी को बतोर खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि उक्त खातेदार 1692 का कुल रकबा 2.63 हैक्टर है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 1685 रकबा 4.37 हैक्टर पर काबिज है, वहीं पर दर्ज किया जाना उचित है। खसरा नम्बर 1686 वर्तमान में रकबा 5.06 हैक्टर दर्ज किया गया जबकि मौके पर 2.43 हैक्टर है। नारायण पुत्र प्रभु काबिज है और खसरा नम्बर 1686 का रकबा 2.43 हैक्टर दर्ज किया जावे तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम उक्त खसरे से हटाया जाकर खसरा नम्बर 1692 रकबा 4.37 हैक्टर के स्थान पर रकबा 2.63 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी के खसरा नम्बर 1701 रकबा 11.32 हैक्टर को नये सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 1693 की पूर्वी माठ तक दर्शित किया जबकि उक्त खसरा नम्बर 1692 व 1690 की पश्चिमी माठ तक कायम है। जिसको दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1692 व 1690 की बीच की पश्चिमी माठ को सीधा किया जावे। ग्राम आलनियावास के पुराने खसरा नम्बर 1310 रकबा 101 बीघा 03 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1763/1310, 1776/1310, 1310/1, 1310/2, 1376/1310, 1298 बने व 1310 के दौराने सेटलमेंट 1685, 1686, 1687, 1692 अंकित किये लेकिन सेटलमेंट विभाग ने मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं किया जिसको दुरूस्त कर बयनामा व कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शे में अंकित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट तलब की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन स्पीकिंग आदेश है जिसमें प्रकरण को दिनांक 28—5—2019 को दर्ज किया और किसी भी पक्षकार को सुनवाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने तहसीलदार से मिलीभगत कर बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम में लिपिकीय त्रुटि को सुधार किया जा सकता है न कि किसी का बाईमिटस एण्डबाउण्ड का बंटवारा और किसी खातेदार को खातेदार घोषित करना धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नहीं किया जा सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात बाबत धारा 88, 53 व 188 का राजस्व वाद पूर्व में ही इन्हीं पक्षकारों के मध्य विचाराधीन है जो कि कल्याणमल बनाम शिवचन्द और ओम प्रकाश बनाम शिवचन्द

जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के प्रार्थना पत्र संख्या 18/2013 कल्याणमल बनाम शिवचन्द जिसमें निर्णय दिनांक 2–11–2015 को एक दूसरो की खातेदारी में दखलंदाजी नहीं करने और राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2019 बउनवान ओमप्रकाश बनाम शिवचन्द में उक्त विवादित आराजियात बाबत दिनांक 18–4–2019 को राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था और उसी न्यायालय द्वारा धारा 136 के प्रार्थना पत्र में लीपिकीय त्रुटि की जगह पक्षकारों के खसरा नम्बरान को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण, नक्शे की सीमाएं बदलने और एक खातेदार की खातेदारी निरस्त करने और दूसरे को खातेदार घोषित करने और किसी खातेदार की खातेदारी कम ज्यादा करने का आदेश पारित कर दिया जैसा कि उनके निर्णय मं खसरा नम्बर 1692 के खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को घोषित करने और 1686 का खातदेार अप्रार्थी संख्या 7 से 11 को घोषित करने का और खसरा नम्बर 1686 का वर्तमान रकबा 5.06 हैक्टर है जिसको कम करके 2.43 हैक्टरी कम करने का आदेश और खसरा नम्बर 1692 रकबा 4.37 हैक्टर के स्थान पर 2.63 हैक्टर का प्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज करने का आदेश और राजस्व रेकार्ड व खातदारी दुरूस्त और राजस्व नक्शा में दुरूस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने 2018 आर.बी.जे पेज नम्बर 279, 2007 आर. बी.जे पेज नम्बर 141, 2010 आर.बी.जे. पेज नम्बर 604, 1996 आर.बी.जे. पेज नम्बर 302 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया कि पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से एग्रीव्ड कैसे है नहीं बताया है। अपीलार्थीगण द्वारा रिपोर्ट में भी कोई गलती नहीं बताई है। तहसीलदार, रिंयाबड़ी ने उनके पत्र क्रमांक 604–605 दिनांक 17–2–2019 द्वारा भूअ.निरीक्षक व पटवारी हल्का आलनियावास से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रकरण में नक्शे की तरमीम का मुद्दा है राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम के आदेश हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व नक्शा में खातेदारी दुरूस्त की जाकर राजस्व नक्शे में तहसीलदार की जांच रिपोर्ट अनुसार आदेश पारित किये है जो उचित है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का आलनियावास की रिपोर्ट दिनांक 24–5–2019 के अनुसार ग्राम आलनियावास के पुराने खसरा नम्बर 1310 के नये खसरा नम्बर 1685, 1686, 1687, 1692 बने है। जिसमें खसरा नम्बर 1685 रकबा 4.37 जिसका गत खसरा नम्बर 1310/2 व 1486 रकबा 5.06 जिसके पुराने खसरा नमबर 1310 व 1687 रकबा 3.64 पुराने खसरा नम्बर 1776/1310 मिन व 1692 रकबा 4.37 पुराना खसरा नम्बर 1310/2 से बनाकर नक्शे में तरमीम की हुई है। परन्तु मौके अनुसार स्थिति भिन्न है। ग्राम आलनियावास के खसरा नम्बर 1685 का रकबा 4.37 हैक्टर है जिसके खातेदार रूकमा देवी पत्नी रूघाराम, गोपीराम, ओमप्रकाश, मंगलाराम, तोफादेवी, सजना, सायरी देवी पांची देवी, गीता देवी सन्तोष पिसरान रूघाराम कौम गुर्जर के नाम से राजस्व रेकार्ड में खाातेदार दर्ज है परन्त मौके अनुसार खसरा नम्बर 1685 की बजाय 1686 में 2.63 व 1685 रकबा 1.74 पर काबिज है। खसरा नम्बर 1692 रकबा 4.37 की बजाय पुराने खसरा नम्बर 2131/1310 रकबा 27 बीघा में से शिवचन्द आचाय जीवण पिसरान रावताराम आचार्य द्वारा बेचान अनुसार चन्दनी देवी पत्नी गोपीराम कौम गुर्जर खसरा नम्बर 2309/1310 रकबा 6 बीघा जिसके पड़ौस रजिस्ट्री अनुसार उत्तर में शिवचन्द आचाारी का खेत पश्चिम में उसी खसरा नम्बर के बीच का भाग जो ओमाराम को बेचान किया हुआ है तथा मौके अनुसार खसरा नम्बर 1685 व 1687 में काबिज है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में 1897/1692 रकबा 0.97 खातेदारी दर्ज कर तरमीम की हुई है जो गलत हुई है। जिसे 1685 में की जानी चाहिए थी। ओम प्रकाश पुत्र रूघाराम कौम गुर्जर सा0 देह खसरा नम्बर 2131/1310रकबा 27 बीघा में से जरिये बेचान रजिस्ट्री 2210/1310 रकबा 6 बीघा जिसके पड़ौस के रजिस्टर्ड दस्तावेजात अनुसार उत्तर में नारायण पिसरान प्रभुराम का खेत व दक्षिण में भूराराम पिसरान देवीराम आचारी का खेत पूर्व में चन्दनी पत्नी गोपीराम का इसी खसरा नम्बर का खरीद शुदा खेत है। पश्चिम मे शारदा पत्नी मंगलाराम का खेत है जो इसी खसरा नम्बर का भाग है मौका अनुसार खसरा नम्बर 1685 व 1687 में काबिज है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1898/1692 रकबा 0.97 में खातेदारी दर्ज कर तरमीम की गई है व मौके से मिलान नहीं होती है जो गलत है जिसकी नजरी नक्शा भी मिलान नहीं खाता है। जिसको खसरा नम्बर 1685 में तरमीम की जानी चाहिए थी। शारदा देवी पत्नी मंगलाराम कौम गुर्जर खसरा नम्बर 2131/1310 रकबा 27 बीघा में से जरिये बेचान रजिस्ट्री के 2211/1310 रकबा 6 बीघा जिसके पड़ौस रजिस्टर्ड दस्तावेजात अनुसार उत्तर में नारायण पि0 प्रभु गुर्जर का खेत दक्षिण में भूराराम पि0 देवीराम आचारी का खेत पूर्व में ओमाराम पि0 रूघाराम का खेत पश्चिम मं रूघाराम पुत्र भागूराम का खेत है। मौका अनुसार खसरा नम्बर 1685 व 1687 में काबिज है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1899/1692 रकबा 0.97 खातेदारी दर्ज कर तरमीम की गई जो गलत हुई है जिसे शुद्ध कर 1685 में की जानी चाहिए थी।

ग्राम आलनियावास के खसरा नम्बर 1686 रकबा 5.06 है जिसकी खातेदारी नारायण, भीकाराम, सुखाराम, हुक्माराम, अमराराम पि0 प्रभु मोहनी देवी पात्नी प्रभु कौम गुर्जर सा0 देह बेचान रजिस्ट्री अनुसार नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 20–11–2016 दीनदयाल रोहित पि0 कल्याणमल द्वारा 16.05 बीघा का बेचान करने से नोसर देवी पत्नी मेवाराम 1/2 मीठी देवी पत्नी दीनदयाल 1/2 हिस्सा कोम गुर्जर सा0 पीपलिया के नाम से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है। मौका अनुसार खसरा नम्बर 1686 में नारायण भीकाराम, सुखाराम, हुक्माराम, अमराराम, पि0 प्रभु मोहनी पत्नी प्रभु का 2.43 हैक्टर पर काबिज है परन्तु नोसर देवी पत्नी मेाराम 1/2 हिस्सा व मीठी देवी पत्नी दयालीराम 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 1686 की बजाय 1692 खसरा नम्बर पर काबिज है। रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार उक्त भूमि जो दीनदयाल रोजिहत पि0 कल्याणमल द्वारा 2.63 हैक्टर भूमि खरीद की गई है जिसका पड़ौस रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार उत्तर में शिवचन्द, जीवण पिसरान रावताराम आचार्य का खेत दक्षिण में इसी खसरा नम्बर 1686 की भूमि नारायण, भीका सुखाराम, हुक्माराम पिसरान प्रभु मोहनी पत्नी प्रभु गुर्जर का खेत व पूर्व में पप्पू पिसरान नृसिंह आचारी का खेत पश्चिम में आम रास्ता दर्शाया हुआ है। जिस अनुसार खसरा नम्बर 1686 की बजराय कब्जा 1692 में है जो कि तरमीम की भूल से हुआ है। शेष बची शिवचन्द आचारी की भूमि पश्चिम मे नारायण गुर्जर व पूर्व में चन्दनी देवी के बीच में स्थित है। ग्राम आलनियावास के खसरा नम्बर 1701 राकबा 11.32 हैक्टर जो कि पुराने खसरा नम्बर 1300 से बने है जिसका नक्शा ट्रेस में पश्चिमी सीमा जो कि पुराने खसरा नम्बर 1310 से मिलती है जो नये खसरा नम्बर 1692 व 1690 की पश्चिमी मेड से मिलती है परन्तु तरमीम की भूल से नये सेटलमेंट के नक्शे में उक्त मेड को 1693 व 1689 की पूर्वी मेड में मिला दिया गया है जो अशुद्ध है जिसे 1690 की पश्चिम मेड व 1692 की पूर्वी मेड से मिलाने से शुद्ध होती है। जिससे खसरा नम्बर 1701 का रकबा पूरा हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, रिंयाबड़ी व पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शे में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है।

तहसीलदार, रिंयाबड़ी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1686 रकबा 2.63 हैक्टर प्रत्यर्थी संख्या 1 नोसर देवी प्रत्यर्थी संख्या 2 मीठी देवी व खसरा नम्बर 1686 रकबा 2.43 हैक्टर का दक्षिणी भाग प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी व कब्जा काश्त में है। खसरा नम्बर 1687 रकबा 3.64 हैक्टर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त में है खसरा नम्बर 1897/1692 रकबा 0.97 हैक्टर प्रत्यर्थी संख्या 9 की खातेदारी व कब्जे काश्त में है तथा खसरा नम्बर 1898/1692 रकबा 0.97 हैक्टर प्रत्यर्थी संख्या 10 की खातेदारी व कब्जे काश्त में है। खसरा नम्बर 1899/1692 रकबा 0.97 हैक्टर प्रत्यर्थी संख्या 11 की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। खसरा नम्बर 1685 रकबा 4.37 हैक्टर प्रत्यर्थी संख्या 14 से 23 तक खातेदारी व कब्जे काश्त में है। जिसे उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में दुरूस्त करने के आदेश पारित किये है जो विधिसममत है। ऐसी स्थिति में

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–5–2019 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2019 बउनवान नौसर देवी व अन्य बनाम नारायण व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर